# कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

**दिनांक- 09-12-2025 “ऑपरेशन कनविक्शन” थाना- आदमपुर**

जनपद में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के क्रम में कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर व्यपहरण से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाराणसी द्वारा अभियुक्त बेबी, शहनवाज, बाबू उर्फ फिरोज व मन्नू उर्फ मंजू को **10 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड(**शहनवाज, बाबू उर्फ फिरोज व मन्नू उर्फ मंजू को अतिरिक्त 10-10 हजार रुपये) से दण्डित किया गया।

प्रदेश भर में चलाए जा रहे अभियान “ऑपरेशन कनविक्शन” के अन्तर्गत पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा निरंतर समीक्षा और मार्गदर्शन दिया जा रहा है। कमिश्नरेट वाराणसी पुलिस द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना व लोक अभियोजक के संयुक्त प्रयास से थाना आदमपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 0257/2005 धारा 363,366,368 भादवि में आज दिनांक 09.12.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम वाराणसी द्वारा साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त बाबू उर्फ फिरोज पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद निवासी कुतुबन शहीद कोतवाली वाराणसी, बेबी पत्नी पत्नी वाजिद अली निवासिनी पुराना पुल थाना सारनाथ वाराणसी, शहनवाज पुत्र रियाज निवासी कुतुबन शहीद थाना कोतवाली वाराणसी व मंजू पुत्र स्व0 मुश्ताक अहमद कुतुबन शहीद थाना कोतवाली वाराणसी को **10 वर्ष सश्रम कारावास** एवं **20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड(**शहनवाज, बाबू उर्फ फिरोज व मन्नू उर्फ मंजू को अतिरिक्त **10-10 हजार रुपये)** से दण्डित किया गया। **कुल अर्थदण्ड 1,10,000 रुपये का 80% धनराशि कुल 88,000 रुपये नियमानुसार पीड़िता को दी जाएगी।** अभियोग उपरोक्त में अभियुक्त को सजा दिलाने में कमिश्नरेट वाराणसी के निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

**श्री रोहित मौर्य**
**एडीजीसी क्रि0 वाराणसी**

**का0 ऋषिकेश राय,**
**पैरोकार थाना आदमपुर**

**का0 उमेश राय,**
**कोर्ट मोहर्रिर**